बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सुनील चौधरी,
निदेशक,
अनुश्रवण–सह–मूल्यांकन–सह–क्रय कोषांग,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, सिवान / मधेपुरा / नालन्दा / किशनगंज / रोहतास(सासाराम) / अरवल / शेखपुरा / वैशाली / मुजफ्फरपुर / सुपौल / समस्तीपुर / गोपालगंज / शिवहर / पश्चिमी चम्पारण / गया / पूर्णियाँ / सहरसा / जहानाबाद / नवादा / बक्सर / कैमूर
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना,दिनांकः–.............

विषयः– बिहार राज्य के उपरोक्त 21 जिला उपभोक्ता फोरमों में तीन शौचालय (पुरूष, महिला एवं दिव्यांग, प्रत्येक हेतु एक–एक) का निर्माण / अपग्रेड का कार्य सम्पन्न कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का पत्रांक 5570 दिनांक 26.11.2019

महाशय,

उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि विषयांकित कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का ज्ञापांक–प्र0 2–वि0–1–33 / 2018–515 दिनांक 05.03.2019 द्वारा जो आपको भी प्रेषित है, दी गयी थी। प्रशासनिक स्वीकृति का पत्र विभाग के वेबसाईट पर भी अपलोडेड हैं।

अतः उक्त के आलोक में शौचालय निर्माण सम्पन्न कराकर व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0 / –
(सुनील चौधरी)
निदेशक,
अनुश्रवण–सह–मूल्यांकन–सह–क्रय कोषांग,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 183190 पटना,दिनांकः– 21.01.20

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु0ः–यथोक्त।

21/1/20

निदेशक,
अनुश्रवण–सह–मूल्यांकन–सह–क्रय कोषांग,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Director Monitoring
(sd)

बिहार सरकार
खा ा एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र02 वि0–1–33 / 2018 ... /खाद्य,पटना/दिनांक ...

प्रेषक,

दिनेश कुमार, भा.प्र0से0
निदेशक।

DDI (sd)

सेवा में,

सयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभ ग,
बिहार, पटना।

विषय :– मांग संख्या–03 के सुसंगत शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध कहना है कि बिहार राज्य के 21 जिला उपभोक्ता फोरमों यथा सिवान, मधेपुरा, न लन्दा, किशनगंज, रोहतास (सासाराम), अरवल, शेखपुरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सुपौल, सम तीपुर, गोपालगंज, शिवहर, पश्चिमी चम्पारण, गया, पूर्णियाँ, सहरसा, जहानाबाद, नवादा, बक्सर एवं कैमूर में तीन शौचालय (पुरूष, महिला एवं दिव्यांग प्रत्येक हेतु एक–एक) का निर्म ण/अपग्रेड किये जाने हेतु 25,000/– रूपये प्रत्येक शौचालय की दर से कुल 63 शौ ालय हेतु कुल 15,75,000/– (पंद्रह लाख पचहत्तर हजार रूपये मात्र) का वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रशासनिक स्वीकृति मांग सं0–03 के मुख्यशीर्ष 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय उपमुख्यशीर्ष–60–अन्य भवन, लघु शीष 051 निर्माण, उप शीर्ष 0425 स्वच्छता मिशन एक्शन प्लान के तहत क्लीन कंज्यूमर फोरा विपत्र कोड–03 4059600510425 के तह त स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

उल्लेखनीय है कि स्वच्छता मिशन एक्शन प्लान के तहत क्लीन कंज्यूमर फोरा हेतु भारत सरकार से प्राप्त राशि में से कुल 15,75,000/–(पंद्रह लाख पचहत्तर हजार) रूपये का उपबंध प्रथम अनुपूरक के माध्यम से भवन निर्माण विभाग की मांग सं0 03 में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में क राया गया था

अतः उक्त के आलोक में स्वच्छता मिशन एक्शन प्लान के तहत क्लीन कंज्यूमर फोरा के अंतर्गत अबतक कितने चयनित जिलों में शौचालय का निर्माण कराया गया है तथा उक्त निर्माण कराये गये शौचालय पर व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कृपा करें।

o/c

विश्वासभाजन,
(sd)
निदेशक